(15)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –45/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. लच्छो बेवा रामजीलाल कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास
2. राजू] पिसरान रामजीलाल कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास।
3. गोविन्द]
4. भागीरथ पुत्र चरनसिंह कौम ब्राह्मण निवासी औलेण्डा निवासी किरावली जिला आगरा
5. हरीशंकर पुत्र गौरीशंकर कौम ब्राह्मण निवासी औलेण्डा निवासी किरावली जिला आगरा
6. राजेश कुमार] पिसरान नेकसिंह कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास।
7. मुकेश कुमार]
8. नेकराम पुत्र रामजीलाल कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास
9. बेबीरानी पत्नी मुकेश कटारा कौम ब्राह्मण निवासी रूपबास तहसील रूपवास
10. नीरज शर्मा पुत्र वीरेन्द्र कुमार शर्मा कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास
11. सतीश मित्तल पुत्र पूरनचंद कौम वैश्य निवासी रूपवास तहसील रूपवास
12. नारायनसिंह पुत्र गुलाब – मृतक
    - 12/1. मुन्नी देवी पत्नी नारायणसिंह]
    - 12/2. शालिनी पुत्री नारायणसिंह | कौम निवासी पुरा तहसील रूपवास।
    - 12/3. चारू पुत्री नारायणसिंह |
    - 12/4. हर्ष पुत्र नरायणसिंह]
13. सुनील पुत्र बाबूसिह कौम जाट निवासी नगारिया मौजा नौहरदा तहसील रूपवास
14. भीमसिंह पुत्र पदमसिंह कौम जाट निवासी पुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 2066/1277 रकबा 2.10 बीघा के विरुद्ध आंवटन के को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–

1. पैरोकार सरकार
2. श्री प्रमोद कुमार उपनन अभिभाषक अप्रार्थी
3. श्री रमन लाल मित्तल अभिभाषक अप्रार्थी 6,7,9,10,11,13,14
4. श्री धर्मेन्द्र सिनसिनी अभिभाषक अप्रार्थी 8

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(16)

निर्णय

दिनांकः— 23.04.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2066/1277 रकबा 2.10 बीघा किस्म गै0मु0 वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमांबदी सम्वत् 2069—72 में लच्छो बेवा रामजीलाल राजू गोविन्द पिसरान रामजीलाल वहिब0हि03/16 बेबीरानी पत्नी मुकेश कटारा कौम ब्राह्मण सा0देह 1/4 भागीरथ पुत्र चरनसिंह हरीशंकर पुत्र गौरीशंकर हि04/50 कौम ब्राह्मण सा0देह औलेण्डा तहसील किरावली राजेश कुमार मुकेश कुमार पिसरान नेकसिंह वहिब0 हि047/240 कौम ब्राह्मण सा0देह नीरज शर्मा पुत्र वीरेन्द्र कुमार शर्मा हि031/600 कौम ब्राह्मण सा0देह सतीश मित्तल पुत्र पूरनचन्द कौम वैश्य सा0देह नारायनसिह पुत्र गुलाबसिंह जाट सा0 पुरा सुनील पुत्र बाबूसिंह कौम जाट सा0 नगरिया मौजा नौहरदा भीमसिंह पुत्र पदमसिंह कौम जाट सा0 पुरा नीरजशर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा वहिब03/20 हि0 हर पांच खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाता संख्या 01 पर पहाडी खड्डे के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत् 2016—2019 के राजकीय खाता संख्या 345 पर मनोहरी पुत्र मंगल गैर खातेदार रहा है जो जरिये विरासत व विकयनामा संख्या 1919,2749,2993,3069,3148 से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण की काबिज काश्त की भूमि है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के क्रमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि पर दर्ज खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तकरण संख्या 1919,2749,2993,3069,3148 आदि को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2066/1277 रकबा 2.10 बीघा किस्म गै0मु0 पर पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 1919,2749,2993,3069,3148 को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये व जबाब पेश किया संलग्न पत्रावली है।

उभय पक्ष विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गै0मु0 दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(17)

16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के क्रमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया गया है। उक्त निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 1919,2749,2993,3069,3148 को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार सरकार द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1896/1003 रकबा 7.00 बीघा कभी भी न तो चारागाह भूमि रही है। प्रकरण में विचाराधीन आराजी को छोटे–छोटे भूखण्डों के रूप में विकय किया जा चुका है जिनमें से अनेकों भूखण्डों की बाबत् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज नही है तथा आराजी का भूखण्डों के रूप में बेचान हो जाने के बाद सभी भूखण्डों पर मकान निर्मित किये जा चुके है और वर्तमान में आराजी को आबादी के रूप में प्रयोग में लेते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा रैफरेन्स बिना मौका निरीक्षण किये ही तैयार किये गये है जो विधिविरूद्व है। उक्त रैफरेन्स 45 साल बाद पेश किये गये है जो अत्यधिक म्याद बाहर है जो विभिन्न न्यायिक दृटांतो में प्रतिपादित मत के अनुसार नही है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2066/1277 रकबा 2.10 बीघा किस्म गै0मु0 वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास पर दर्ज खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये नामान्तकरण संख्या 1919,2749,2993,3069,3148 आदि को निरस्त करने तथा माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के क्रमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर नम्बर 2066/1277 रकबा 2.10 बीघा किस्म गै0मु0 वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर पक्के/कच्चे मकानात बगै0 बने हुये और कुछ जगह खाली पडी है एवं खाते पर उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश का नोट अंकित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1277 रकबा 6.05 बीघा राजकीय खाते में किस्म गै0 मुमकिन दर्ज रिकार्ड है व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(19)

बंदी संवत् 2016–2019 में खाता संख्या 345 के खसरा नम्बर 1277मिन रकबा 2.10 बीघा पर मनोहरी पुत्र मंगल गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमांबदी सम्वत् 2069–72 में लच्छो बेवा रामजीलाल राजू गोविन्द पिसरान रामजीलाल वहिब0हि03/16 बेबीरानी पत्नी मुकेश कटारा कौम ब्राह्मण सा0देह 1/4 भागीरथ पुत्र चरनसिंह हरीशंकर पुत्र गौरीशंकर हि04/50 कौम ब्राह्मण सा0देह औलेण्डा तहसील किरावली राजेश कुमार मुकेश कुमार पिसरान नेकसिंह वहिब0 हि047/240 कौम ब्राह्मण सा0देह नीरज शर्मा पुत्र वीरेन्द्र कुमार शर्मा हि031/600 कौम ब्राह्मण सा0देह सतीश मित्तल पुत्र पूरनचन्द कौम वैश्य सा0देह नारायनसिह पुत्र गुलाबसिंह जाट सा0 पुरा सुनील पुत्र बाबूसिंह कौम जाट सा0 नगरिया मौजा नौहरदा भीमसिंह पुत्र पदमसिंह कौम जाट सा0 पुरा नीरजशर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा वहिब03/20 हि0 हर पांच खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि की किस्म गैर मुमकिन सैराबी दर्ज रिकार्ड है। नामा0स0 1919 खसरा नम्बर 1277 मिन रकबा 2.10बीघा मे से 1.15 बीघा सैराबी व 0.15 बीघा गै0मु0 दर्ज होकर मु0 नारायणी बेवा मनोहर रामजीलाल सुरेश विक्रम पिस0 मनोहर वहिब04/5 बबलू संतोष अशोक पि0 हरी वहिब01/5 कौम धीमर सा0देह गैर खातेदार के स्थान पर जरिये हुक्मन डिग्री सहायक कलक्टर रूपवास के आदेश दिनांक 24.10.2000 से मु0 लच्छो बेवा रामजीलाल भगवत राजू गोविन्दसिंह पिस0 रामजीलाल वहिब0 1/5 विक्रम सुरेश पि0 मनोहरी वहि01/2 बबलू बलिग संतोष बलिग अशोक नाबालिग पि0 हरी संरक्षक बबलू वहिब0 2/4 कौम धीमर सा0देह खातेदार दर्ज हुआ है। नामा0स02749 से बबलू 1/12 अशोक 6/300 पिस0 हरी कौम धीमर सा0देह खातेदार बाकी हिस्सा बदस्तूर जमाबंदी के स्थान पर जरिये वयनामा मुकेश कटारा पुत्र नेकसिंह कोम ब्रह्मण सा0देह व वीर विक्रमसिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह कौम ठाकुर सा0देह वहि0बराबर खातेदार हि031/300 बाकी हिस्सा जमाबंदी बदस्तूर दर्ज हुआ है। नामा0स0 2993 से जरिये वयनामा सुरेश पुत्र मनोहर कौम धीमर सा0देह खातेदार हि0 3/20 बाकी हिस्सा जमांबदी बदस्तूर के स्थान पर सतीश मित्तल पुत्र पूरनचंद कौम वैश्य सा0देह, नारायणसिंह पुत्र गुलाबसिंह कौम जाट सा0 पुरा , सुनील पुत्र बाबूसिंह कोम जाट सा0 नगारिया मौजा नौहरदा, भीमसिंह पुत्र पदमसिंह कौम जाट सा0पुरा नीरज शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार हि03/20 बाकी हिस्सा जमाबंदी बदस्तूर दर्ज रिकार्ड हुआ है। नामा0स0 3069 से जरिये वयनामा विक्रम पुत्र मनोहर कौम धीमर सा0देह खातेदार हि0 1/4 बाकी हिस्सा जमाबंदी बदस्तूर के स्थान पर बेबीरानी पत्नि मुकेश कटारा कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार हि0 1/4 बाकी हिस्सा जमाबंदी बदस्तूर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है। नामान्तकरण संख्या 3148 से जरिये जरिये वयनामा वीर विक्रमसिंह पुत्र रवीन्द्रसिंह कौम ठाकुर सा0 दौरदा खातेदार हि0 37/600 बाकी जमाबंदी बदस्तूर के स्थान पर नीरज शर्मा पुत्र वीरेन्द्र कुमार शर्मा कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार हि0 31/600 बाकी जमाबंदी बदस्तूर रहा है।

प्रकार उक्त भूमि सम्वत् 2012 की जमाबंदी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1277 रकबा 6.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन दर्ज रिकार्ड है जो जमाबंदी संवत् 2016–2019 में खाता संख्या 345 के खसरा नम्बर 1277 मिन रकबा 2.10 बीघा पर मनोहरी पुत्र मंगल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(19)

गै. खातेदार दर्ज रिकार्ड है, विभिन्न वयनामा आदि के नामान्तकरणों से अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। लगातार खातेदारी होने के कारण अप्रार्थीगण ने अपना कब्जा होना अवगत कराया है तदानुसार ही खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है।

जमाबंदी सम्वत् 2012 में किस्म गै0मु0 दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज नही रही है और न ही भूमि का नियमन किया गया है। **माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0 दिनांक 20.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"।** प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 से अवगत कराया है कि" आराजी खसरा नम्बर 2066/1277 रकबा 2.10 बीघा अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बर में पक्का व कच्चा निर्माण मकानात वगै0 व कुछ जगह खाली पडी हुई है"। प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया हैं जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:–

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 2066/1277 रकबा 2.10 बीघा के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साविक खसरा नम्बर 1277 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।
3. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स में संवत् 2016–19 मे मनोहरी पुत्र मंगल को किस आधार पर गैर खातेदार अधिकार दर्ज हुये है, का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के कम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)